

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र/ सरफेसी/92/2025

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि.(पूर्व में ए यू फाईनेन्सोरस इण्डिया लि.) रजिस्टर्ड ऑफिस-19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 तथा ऑफिस तीसरा फ्लोर सन्नी ट्रेड सेन्टर न्यू आतिश मार्केट, जयपुर 302020 जरिये प्राधिकृत अधिकारी मानसिंह मीणा

.....प्रार्थी/प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. गुरुकृपा कोल्ड ड्रिंक्स एण्ड सरस पार्लर, डीग रोड नई मण्डी, बैंक ऑफ बडोदा के सामने भरतपुर
2. विरेन्द्र बंसल पुत्र शिवचरण बंसल निवासी दही वाली गई वयानिया मोहल्ला भरतपुर अन्य पता- सम्पती स्थित खसरा नं. 3020 प्लॉट नं. 11-ए/1 न्यू मण्डी चक नं. 2 सुभाष नगर भरतपुर

.....ऋणी/सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित किया गया है बंधक सम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 15.04.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण/ऋणी ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 31.01.2022 को जरिए ऋण अनुबन्ध संख्या L9001060126918110 से ऋण राशि रु. 11,40,000/- (शब्देन ग्यारह लाख चालीस हजार रुपये मात्र) की ऋण सुविधा ली गई थी। उक्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने अपनी सम्पति स्थित खसरा नं. 3020 प्लॉट नं. 11-ए/1 न्यू मण्डी चक नं. 2 सुभाष नगर भरतपुर क्षेत्रफल 560 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ इस प्रकार हैं पूर्व दिशा में 35 फीट इस भूखण्ड सं. 11, पश्चिम दिशा में 35 फीट इस तरफ शेष भूखण्ड 11-ए विक्रेता का, उत्तर दिशा में 16 फीट इस तरफ 30 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण दिशा में 16 फीट इस तरफ भूखण्ड सं. 10 है जो अप्रार्थी0 के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पति जिसको प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था पर कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।


.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि नियत समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 08.01.2025 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 10.01.2025 तक कुल बकाया राशि 8,34,764/- (शब्देन आठ लाख चौतीस हजार सात सौ चौसठ रु. मात्र) ब्याज एवं अन्य खर्चे, अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 14.01.2025 को अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, जो ट्रेक रिकार्ड अनुसार दिनांक 25.01.2025 को अप्रार्थी/ऋणी को डिलीवर्ड हुआ, साथ ही दिनांक 02.03.2025 के समाचार पत्र में भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 14.01.2025 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, जो ट्रेक रिपोर्ट अनुसार दिनांक 25.01.2025 को अप्रार्थी० को डिलीवर्ड हुआ है। नोटिस रिसीव्ड होने के उपरान्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी० ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु समी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से सिव्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी०/ऋणी/सहऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।


.....3

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(3) प्रापत्र / सरफेसी / 92 / 2025  
ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक बनाम गुरुकृपा कोल्ड ड्रिंक्स  
एण्ड सरस पार्लर व अन्य

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐक्ज में अपनी अचल सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 3020 प्लॉट नं. 11-ए/1 न्यू मण्डी चक नं. 2 सुभाष नगर भरतपुर क्षेत्रफल 560 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ इस प्रकार हैं पूर्व दिशा में 36 फीट इस भूखण्ड सं. 11, पश्चिम दिशा में 35 फीट इस भूखण्ड सं. 11-ए विक्रेता का, उत्तर दिशा में 16 फीट इस तरफ 30 फीट क्षेत्र में स्थित है। जो अप्रार्थी के अधिकार में स्थित है। को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्कादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

  
(कमर उल जमान चौधरी)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर